न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 01/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/20)	05.02.2025	21.04.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

आजाद सिंह पुत्र भगत सिंह जाति राजपूत,
मैसर्स जय माँ जोगनिया एन्टरप्राइजेज, डाबी
ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से मोहम्मद मुश्ताक एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 01/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/20 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 15.04.2025 को अपना जवाब पेश किया जाकर स्वयं के 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 27.01.2025 को प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक बून्दी द्वारा मैसर्स जय माँ जोगनिया एन्टरप्राइजेज, डाबी पर अवैध भण्डारण की शिकायतों के संदर्भ में जांच की गयी। मौके पर उपस्थित आजाद सिंह द्वारा दुकान की जांच करवाई गयी। जांच के दौरान उक्त प्रतिष्ठान पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर के कुल 17 नग मिले। पूछताछ पर आजाद सिंह ने बताया कि वह उपभोक्ताओं के गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करता है और साथ ही छोटे सिलेण्डर में गैस भर देता है। अप्रार्थी के पास गैस रिफिल करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला तथा सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 198.00 कि.ग्रा. एलपीजी गैस(10 सिलेण्डर बीपीसीएल एवं 7 सिलेण्डर एचपीसीएल कंपनी के) को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स गुरूनानक गैस एजेन्सी तालेडा के प्रतिनिधि श्री तोलाराम महावर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी ग्राम डाबी में मैसर्स जय माँ जोगनिया एन्टरप्राइजेज के नाम से बर्तनों को क्रय व विक्रय करने का व्यवसाय करता है। अप्रार्थी का प्रतिष्ठान मेन रोड पर है, जबकि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के आसपास सकडी गलियाँ होने के कारण गैस उपभोक्ता अपने खाली गैस सिलेण्डर को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के बाहर रख देते है तथा वहीं से भरे हुये गैस सिलेण्डर को ले जाते है। जो गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है वह प्रार्थी के नहीं है, अन्य उपभोक्ताओं के है जो मजदूर पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अप्रार्थी को झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप

जिला मजिस्ट्रेट
बूंदी

से भण्डारण करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	639417	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
2	4418	BPCL	14.1 कि.ग्रा.
3	700819	BPCL	14.1 कि.ग्रा.
4	382689	BPCL	14.0 कि.ग्रा.
5	466376	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
6	14496	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
7	86899	BPCL	14.0 कि.ग्रा.
8	921175	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
9	768257	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
10	630609	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
11	083616	HPCL	14.0 कि.ग्रा.
12	674800	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
13	049669	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
14	392369	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
15	2266	HPCL	0
16	550567	HPCL	0
17	704028	HPCL	0
		कुल गैस वजन	198.00 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी